

5426
11/8/07
भारतीय नैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

03AA 232229

पट्टानामा भूमि मियादी 99 वर्ष
दिनांक 31.07.2007 से 30.07.2106 तक
रकबा 80 कनाल 7 मरले
वाका गांव बालसमन्द, तहसील व जिला हिसार
लगान सलाना 1/-रुपये
स्टाम्प ड्यूटी - 10/-रुपये (चसपा की गई है।)

पट्टा देहिन्दा : ग्राम पंचायत गांव बालसमन्द तहसील व जिला हिसार
द्वारा श्री कन्हैया लाल सरपंच ग्राम पंचायत बालसमन्द
पट्टा गेहिन्दा : औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग
सेक्टर 17, 30 बेज बिल्डिंग द्वारा चण्डीगढ़ द्वारा प्रिंसिपल आई0 टी0
आई0 हिसार

ग्राम पंचायत गांव बालसमन्द तहसील व जिला हिसार द्वारा श्री
कन्हैया लाल सरपंच ग्राम पंचायत बालसमन्द उपस्थित हूं। जोकि मुझ
कन्हैया लाल को बतौर सरपंच ग्राम पंचायत बालसमन्द अनुसार प्रस्ताव
दिनांक 27.07.2007 पासकरदा ग्राम पंचायत गांव बालसमन्द तहसील व
जिला हिसार की रूह से ग्राम पंचायत की भूमि वाका गांव बालसमन्द तहसील
व जिला हिसार की रूह से बहक औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा
विभाग सेक्टर 17, 30 बेज बिल्डिंग द्वारा चण्डीगढ़ द्वारा प्रिंसिपल आई0 टी0
आई0 हिसार को मुबलिंग 1/- रुपये (एक रुपया) प्रति साल की दर से 99

01 AUG 2007

Sr. No.

2757/Dated

Rs. 157

Sold to

Kanoya hp

San Panch, Gram Porchayit

For Affidavit/Agreement

Through

Hees Dea

Bel Sam

प्रलेख नः 5426

B. S. VERMA

दिनांक 01/08/2007

Stamp Vendor, Hise

डीड संबंधी विवरण

डीड का नाम LEASE

तहसील/सब-तहसील हिसार

गांव/शहर बालसमन्द

धन संबंधी विवरण

राशि जिस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई 1.00 रुपये

स्टाम्प ड्यूटी की राशि 15.00 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये

पेम्पिंग शुल्क 1.50 रुपये

वह प्रलेख आज दिनांक 01/08/2007 दिन बुधवार समय बजे श्री/श्रीमती/कुमारी कनैया लाल सराव
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम पंचायत बालसमन्द जिला हिसार द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

कनैया लाल सराव

अप / सयुक्त पंजीयन अधिकारी
हिसार

श्री कनैया लाल सराव

उपरोक्त पट्टा देने वाला क श्री/श्रीमती/कुमारी कनैया लाल सराव प्रस्तोषण पट्टा देने वाला दायिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों
पक्षों समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी कनैया लाल सराव पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी बालसमन्द जिला हिसार व श्री/श्रीमती/कुमारी कनैया लाल सराव पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी बालसमन्द जिला हिसार ने
साक्षी नः 1 को हम न्यायाधीश/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 01/08/2007

अप / सयुक्त पंजीयन अधिकारी
हिसार



हरियाणा HARYANA

02AA 481593

11/11/2014

[Handwritten signature]

01 AUG 2007
Attached No. 37371

P. S. Verma
Stamp Vendor, Hisar

त
रा

राशि

जिस्त

प्रले
पुत्री

प्र

चाल

पट्टा

किर

वसपन

का

8/20

Hor

साल के लिए पट्टे पर देने का अधिकार हासिल है। जो कि नं० खसरा 766//26(102-5) बारकबा 102 कनाल 5 मरले का 480/2045 भाग बैकदर 24 कनाल व भूमि नं० खसरा 833//2(47-7) बारकबा 47 कनाल 7 मरले का 759/947 भाग बैकदर 37 कनाल 19 मरले व नं० खसरा 837(18-8) बारकबा 18 कनाल 8 मरले सालिम वाका गांव बालसमन्द तहसील व जिला हिसार तीनों खातों का रकबा 24 कनाल जमा 37 कनाल 19 मरले जमा 18 कनाल 8 मरले बैकदर 80 कनाल 7 मरले वाका गांव बालसमन्द तहसील व जिला हिसार मलकियत मकबूजियती ग्राम पंचायत गांव बालसमन्द की अनुसार कागजात माल से होती है। अब मैंने बतौर सरपंच अनुसार प्रस्ताव उपरोक्त रकबा 80 कनाल 7 मरले मय हक रास्ता प्रवेश निकाश खाल पानी नहर आदि हर किस्म का बराये अवधि 99 वर्ष के लिए दिनांक 31.07.2007 ता 30.07.2106 तक के लिए बदले लगान सलाना 1/-रुपये (एक रूपया) कि दर से बहक औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग सैक्टर 17, 30 बेज बिल्डिंग द्वारा चण्डीगढ़ द्वारा प्रिंसिपल आई० टी० आई० हिसार उपरोक्त को निम्नलिखित शरायत पर पट्टे पर दे दी है:

1. यहकि 99 साल का लगान पेशगी प्राप्त कर लिया है जिसकी रसीद पट्टागेरिन्दा औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग को दे दी गई है व कब्जा औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग को उक्त रकबा पर दे दिया है।
2. यहकि पट्टा ग्रेहिन्दा औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग उपरोक्त भूमि को अपने औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग गांव बालसमन्द के लिये हर प्रकार से इस्तेमाल कर सकेगी।
3. यहकि मियाद से पहले अराजी मालिक अराजी को किसी भी तरीके पर किसी भी दिगर को मुन्तकिल ना कर सकेंगे व मियाद से पहले पट्टा भी कैसिल ना होगा। औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग उपरोक्त उक्त लिखित मियाद तक भूमि का हर प्रकार से प्रयोग कर सकेगी।
4. यहकि मियाद समाप्ति के पश्चात पट्टा ग्रेहिन्दा औद्योगिक प्रशिक्षण एवं

4/5/21/1/1/1

प्रलेख नः 5426

दिनांक 01/08/2007

डीड संबंधी विवरण	
डीड का नाम	LEASE
तहसील/सब तहसील	हिसार
गांव/शहर	बालरामगढ़
धन संबंधी विवरण	
राशि जिस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई 1.00 रुपये	स्टाम्प ड्यूटी की राशि 15.00 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीम की राशि 100.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 1.50 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 01/08/2007 दिन बुधवार समय बजे श्री/श्रीमती/कुमारी कन्हैया लाल सरपंच पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम बालरामगढ़ जिला हिसार द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
हिसार

श्री कन्हैया लाल सरपंच

उपरोक्त पट्टा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी राजबीर सिंह गुनवत प्रसीपल पट्टा देने वाला हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को वेमिटर स्वीकार किया। दोनों पक्षों को पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी राजकुमार पंच पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी बालरामगढ़ जिला हिसार व श्री/श्रीमती/कुमारी कन्हैया लाल पंच पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी बालरामगढ़ जिला हिसार ने संक्षेप नः 1 को हम नम्बरदार/अधिकृतता के रूप में जानते हैं तथा वह संक्षेप नः 2 को पहचान करता है।

दिनांक 01/08/2007

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
हिसार

व्यवसायिक शिक्षा विभाग अपना कब्जा उठाकर कब्जा भूमि मालिक ग्राम पंचायत गांव बालसमन्द को देने की पाबन्द रहेगी।

5. यह कि औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार के सभी नियमों व शर्तों के मुताबिक भूमि का इस्तेमाल कर सकेगी।
6. यह कि इन्तकाल पट्टानामा दर्ज व तसदीक करवा दूंगा वरना इस पट्टानामा से हो सकेगा।

अतः यह पट्टानामा लिखा दिया है व प्रमाणित हो व समय पर काम आवे सुनाया गया व सही माना मकाम हिसार दिनांक 22.03.2007

DRAFTED BY

S. K. AHUJA

B.A.L.L.B. (HONS) Adv.

पट्टा देहिन्दा

कन्हैया लाल

सरपंच ग्राम पंचायत

बालसमन्द

शायद केन्द्रित नही है

पट्टा ग्रेहिन्दा की ओर से

प्रिसिपल आई० टी० आई० हिसार

Shankar Lal, ASK
1st Officer

गवांहे नं० 1

श्री ^{21/3/07} ~~रामकुमार~~ पंच

गांव बालसमन्द

तहसील व जिला हिसार

21/3/07 ASK

गवांहे नं० 2

श्री बलबीर पंच

गांव बालसमन्द

तहसील व जिला हिसार

बलबीर सिंह पंच

Reg. No.

5426

Reg. Year

2007-2008

Book No.

1



पट्टा देने वाला

पट्टा देने वाला

कर्मचारी/आल रन एव

21/08/2007



पट्टा लेने वाला

पट्टा लेने वाला

रगधर सिंह गुन्ना पिन्डोवाल

पट्टा देने वाला

21/08/2007

कर्मचारी/आल रन एव

काल की रसिद

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 5,426 आज दिनांक 01/08/2007 को बही न: 1 जिल्द न: 699 प्रष्ठ न: 211 पर रजिस्ट्रार किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 5,051 के प्रष्ठ सख्या 81 से 82 पर विपकट्टे गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा में सम्मन किये हैं।

दिनांक 01/08/2007

उप / प्रलेख, रजिस्ट्रार कार्यालय
हिसार

1700
10-2-11

34 पानमान 27/5/78

202-06

बाल्या पंडिताना मंडिर (१) - ११५

06/11/00

3. $\sqrt{a^2 + b^2}$

[Signature]
23/12/20

[illegible]

सेवा में

प्राधानाचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
हिसार।

क्रमांक 1552 / पंचायत दिनांक 27-7-07

विषय :- ग्राम पंचायत बालसमन्द की शामलात भूमि आई0टी0आई0 के निर्माण हेतु
औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग को पटटे पर देने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपको लिखा जाता है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत बालसमन्द की शामलात भूमि आई0टी0आई0 निर्माण के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग को उपहार में देने की बजाये लम्बी अवधि के लिये पटटे पर देने का प्रावधान किया है, इस बारे सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि एक रुपया की नोमीनल पटटा राशि पर पटटा अवधि 99 वर्ष होगी।

अतः आप आई0टी0आई0 के निर्माण हेतु शामलात भूमि पटटा पर लेने बारे खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हिसार-2 व सरपंच ग्राम पंचायत बालसमन्द से सम्पर्क करके आज ही पटटा की नियमानुसार पूर्ण कार्यवाही अमल में लाकर, की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाये।

संलग्न:- नि0प0हरि0 का पत्र
क्रमांक 24382दि0 26-72007

कृते: उपायुक्त, हिसार।

पृ0क्रमांक /

/ पंचायत दिनांक

इसकी एक प्रति खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हिसार-2 को भेजकर लिखा जाता है कि आई0टी0आई0 के निर्माण हेतु शामलात भूमि पटटे पर देने बारे पटटा की नियमानुसार पूर्ण कार्यवाही करके रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवाये ताकि उपायुक्त महोदय द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की बैठक दिनांक 3-8-2007 को लघु सचिवालय, हिसार में होनी है में रिपोर्ट दी जा सके।

51-
कृते: उपायुक्त, हिसार।